न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील एक्सप्लोजिव एक्ट 976 / 2020 / अजमेर (2020 / 00976)

मैसर्स दीपक ट्रेडर्स, ग्राम कुम्हारिया, तहसील भिनाय जिला अजमेर जरिये पार्टनर गोविन्द प्रजापत व दिनेश माहेश्वरी पुत्र श्री धनराज माहेश्वरी निवासी 3 / 7, भंवर बाडी विजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम–121(1) (C) विस्फोटक अधिनियम 2008
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
आदेश कमांक क.अ. / न्याय / विस्फोट / 2020 / 170 दिंनाक 11.06.2020

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 21-10-2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुम्हारिया के खसरा नं0 60 / 4317, रकबा 0.25 हैक्टेयर में से 1000 वर्गमीटर भूमि में फार्म नं0 21 में विस्फोटक सामग्री रखने व विक्रय करने की अनुज्ञप्ति जारी करने के क्रम में अपीलार्थी फर्म द्वारा भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन के लिये आवेदक विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। विहित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ने आदेश क्रमांक 419 दिनांक 04.11.2003 से खसरा नं0 60 / 4317 भूमि का भूउपयोग परिवर्तन मैग्जीन (व्यावसायिक हेतु) करने के आदेश पारित किये। अपीलार्थी ने मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक नागपुर के समक्ष विस्फोटक सामग्री रखने व विक्रय करने की अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक नागपुर ने जिला कलक्टर अजमेर को

Scanned with CamScanner

पत्र क्रमांक ए/ई/मुख्या./राज./21/4 (ई 6461) दिनांक 18.07.2003 के द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को अग्रेषित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पत्र जारी किया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी के फार्म 21 में विस्फोटक सामग्री रखने व विक्रय करने की अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर व उपखण्ड अधिकारी केकडी से जांच करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की। जांच अधिकारियों की सकारात्मक रिपोर्ट एवं अनापत्ति के आधार पर मैसर्स दीपक ट्रेडर्स ग्राम कुम्हारियां को ग्राम कुम्हारिया के खसरा नं0 60/4317 में से 1000 वर्गमीटर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि पर प्रस्तावित स्थल पर विस्फोटक विभाग द्वारा सुरक्षा एवं भूमि आदि के संबंध में जांच कर विस्फोटक नियम–1983 के उपनियम–156 के तहत प्रारूप–21 में निम्न सामग्री रखने एवं विक्रय करने हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया :–

क्र.स.	विस्फोटक सामग्री	क्लास	प्रभाग	उप प्रभाग	तादाद
1	नाईट्रेट मिक्सचर	2	0	—	10000 किलो (दस हजार)
2	सेंफटी फयूज	6	1	—	90000 मीटर (नब्बे हजार)
3	डेटोनेटिंग फयूज	6	2	—	150000 मीटर (डेढ़ लाख)
4	इले. डिटोनेटर्स व आर्डनरी डिटों.	6	3	—	44000 नग (चव्वालीस हजार)

प्रत्यर्थी/जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक नागपुर ने अपीलार्थी फर्म के नाम विस्फोटक सामग्री रखने व विक्रय करने की अनुज्ञप्ति पत्र क्रमांक ई/मुख्या./राज./21/319(ई 6461) दिनांक 04.01.2005 जारी किया। उपरोक्त वर्णित विक्रय व भण्डारन की अपीलार्थी फर्म को अनुमति प्रदान की गई। यह लाईसेन्स दिनांक 31.03.2006 तक जारी किया गया। इसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष उक्त लाईसेन्स की अवधि बढ़ाई जारी रही। अपीलार्थी फर्म ने मुख्य विस्फोट नियंत्रक उत्तरांचल फरीदाबाद में पूर्व में जारी लाईसेन्स में विस्फोटक पदार्थ की सीमा बढ़ाने अर्थात् अतिरिक्त विस्फोटक पदार्थ रखने के बारे में निवेदन किया। मुख्य विस्फोट नियंत्रक ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को अग्रेषित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पत्र दिनांक 21.07.2008 जारी किया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने फर्म के प्रोपराईटर को भूमि रूपान्तरण संबंधी एस.डी.ओ के संपरिवर्तन आदेश, जमाबंदी एवं राजस्व मानचित्र व साईट प्लान के साथ ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा। फर्म के द्वारा सूचना जिला कलक्टर अजमेर को प्रस्तुत की गई। इसी दौरान फर्म के प्रोपराईटर गोविन्दराम प्रजापत ने एक प्रार्थना पत्र प्रारूप–22 में विस्फोटक नियम–1983 के तहत प्रत्यर्थी/जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन किया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिये दीपक ट्रेडर्स फर्म में श्री दिनेश माहेश्वरी पुत्र श्री धनराज माहेश्वरी निवासी 3/60 भंवर बारी, विजयनगर तहसील मसूदा जिला अजमेर को उक्त फर्म में भागीदार बनाना चाहता हूँ जिसकी अनुमति दी जावे। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 12466 दिनांक 17.08.2011 को मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक

Scanned with CamScanner

नागपुर को पत्र लिखकर सूचित किया कि उनके द्वारा विस्फोटक मैगजीन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी कर रंखा है। प्रार्थी ने वित्तीय स्थिति एवं स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण अपनी फर्म में दिनेश माहेश्वरी का नाम अनुज्ञापत्र में भागीदार के रूप में जुडवाने का निवेदन किया है। उक्त पत्र में यह भी लिखा गया कि यदि श्री दिनेश माहेश्वरी का नाम जोड़ा जाता है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि अपीलार्थी फर्म ने पूर्व में ही मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर के समक्ष High Explosive/Detonators magazine for possesion and sale हेतु विस्फोटक विभग से अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का अनुरोध कर रखा था जिसके क्रम में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर ने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को पत्र लिखकर इस बाबत अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु लिखा था। इस क्रम में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने पत्र क्रमांक 2418–19 दिनांक 19.02.2013 के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर व उप जिला मजिस्ट्रेट भिनाय से रिपोर्ट प्राप्त की। उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय ने अपने पत्र क्रमांक 997 दिनांक 05.03.2013 के द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को सूचित किया कि मौके पर मैग्जीन बनी हुई है। प्रार्थी श्री दिनेश माहेश्वरी एक और मैग्जीन बनाना चाहता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित होगा। पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने भी अपने पत्र दिनाक 10117 दिनाक 12.04,2013 के द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को सूचित किया कि आवेदक को High Explosive/Detonators magazine for possesion and sale का अनुज्ञापत्र नियमानुसार जारी कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने पुनः अपने पत्र दिनांक 26.06.2013 के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर व उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय को पत्र लिखकर विस्फोटक मैग्जीन स्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं बतलाई गई बाबत रिपोर्ट चाही गई। उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय ने अपने पत्र दिनांक 17.10.2013 के द्वारा व पुलिस अधीक्षक अजमेर ने भी दिनांक 04,02.2014 को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें मैग्जीन की क्षमता 10000 किलो के बजाय 50000 किलो क्षमता बढ़ाये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना पत्र में अंकित किया। उक्त पत्रों के साथ विस्फोटक सामग्री को बेचने वालों के मालिकों का भी पत्र बतलाया गया जिन्होंने अपनी समस्या बताई और सामग्री की क्षमता बढ़ाये जाने से इन फर्मों ने सही माना। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 16.06.2015 के द्वारा अपीलार्थी फर्म से चार बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट फर्म डीई–4 में भरकर प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा जिसके क्रम में अपीलार्थी फर्म ने वांछित सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को प्रेषित कर दी। अपीलार्थी फर्म की विस्फोटक सामग्री 10000 किलो से 50000 किलो की क्षमता बढ़ाये जाने का मामला विचाराधीन ही था इसी दौरान सुरेन्द्र माहेश्वरी नाम के व्यक्ति ने प्रत्यर्थी/जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष अपीलार्थी फर्म के विरुद्ध शिकायत की। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने उक्त शिकायत की प्रति उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय को भेजकर रिपोर्ट मांगी। उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय ने शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच कर जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक 2590 दिनांक 27.06.2018 से सूचित किया कि शिकायत में वर्णित तथ्य सही नहीं है। मामला वर्तमान मैग्जीन

Scanned with CamScanner

के विस्तार का ही है। नई मैग्जीन निर्मित करने के तथ्य सही नहीं है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने पुनः उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय व जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से स्पष्ट रिपोर्ट मंगवाकर तथा साईट प्लान को देखने के पश्चात दिनांक 28.11.2017 को विस्फोटक नियम–2008 के नियम–103 (3) (ए) के तहत एक आम सूचना जारी की। उक्त जारी आम सूचना के बाद कोई आपत्ति नहीं आई उसके पश्चात उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय व पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने अर्थात अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने अपने आदेश क्रमांक No-Judl/Explo./2019/9640 Dated 28.06.2019 के द्वारा निम्न सामग्री के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया।

क्र.स.	विस्फोटक सामग्री	क्लास	प्रभाग	उप प्रभाग	तादाद
1	नाईट्रेट मिक्सचर	2	0	—	50,000 किलो
2	डेटोनेटिंग फयूज	6	2	—	10,00,000 मीटर
3	सेंफटी फयूज	6	1	—	5,00,000 मीटर

अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी होने के पश्चात आनन्द जोशी नाम के व्यक्ति ने अपीलार्थी फर्म के नाम शिकायत की कि मैग्जीन के मालिकों द्वारा स्थापित मैग्जीन के स्थान पर पास के खसरा नंबर 72 में नई मैग्जीन का निर्माण कराया जा रहा है जो वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि न होकर कृषि भूमि है और पास में देवनारायण का मंदिर है तथा धर्मशाला भी है इसलिये एन.ओ.सी. निरस्त की जावे। उक्त शिकायत की प्रति मुख्यमंत्री सचिवालय व अन्य विभागों को भी भेजी गई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 213 दिनांक 03.01.2020 के द्वारा उपजिला मजिस्ट्रेट, भिनाय को उक्त शिकायत की प्रति भेजकर इसमें अंकित तथ्यों की जांच कर जांच रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा। उपखण्ड अधिकारी एंव उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय ने अपने पत्र क्रमांक 105 दिनांक 09.01.2020 के द्वारा तहसीलदार एवं हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट लेकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को सूचित किया कि खसरा नंबर 72 रकबा 0.81 हेक्टेयर जो कि खसरा नंबर 4447/4317 से लगता हुआ है। उक्त खसरा नंबर मौके पर खाली है तथा इसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो रखा है तथा फसल खड़ी है। शिकायतकर्ता द्वारा मौके पर पास ही एक सार्वजनिक देवनारायण मंदिर होना बताया है जो कि मैग्जीन से 373 मीटर दूर है व अन्य देवनारायण मंदिर 621 मीटर दूरी पर है जबकि उक्त दोनों मंदिर ना होकर केवल चबूतरा है। शिकायतकर्ता द्वारा मौके पर 185 मीटर दूरी पर एक धर्मशाला होना बताया है जो मौके पर लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। खसरा नंबर 4447/4317 में स्थित मैग्जीन निर्माणाधीन है तथा इसमें मैग्जीन का कार्य नहीं चल रहा है तथा वर्तमान में बंद है। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 1804 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा संयुक्त सचिव, सचिव (एल. एस) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचित किया कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत असत्य, निराधार पाई गई। उक्त पत्र के साथ जांच रिपोर्ट की प्रति भी संलग्न की गई। आनन्द जोशी द्वारा की गई शिकायत

Scanned with CamScanner

झूठी और असत्य पाये जाने के बाद आनन्द जोशी ने पुनः जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष पुरानी शिकायत में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये एक परिवाद पेश किया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक 6070—71 दिनांक 20.02.2020 के द्वारा पुनः आनन्द जोशी की शिकायत पुलिस अधीक्षक अजमेर व उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय को भेजकर इस पर जांच रिपोर्ट मांगी। उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय ने अपने पत्र क्रमांक 806 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को उक्त परिवाद की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें अंकित किया गया कि मौके पर मैग्जीन कार्य बंद है कई वर्षों से मैग्जीन बंद होकर मौका स्थल पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। मौके पर आने जाने हेतु पहुंच मार्ग का पूर्णतः अभाव पाया गया। ऐसी स्थिति में क्षमतावर्धन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण—पत्र निरस्त योग्य है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने उपजिला मजिस्ट्रेट, भिनाय के साथ—साथ पुलिस अधीक्षक अजमेर से भी इस विषय पर जांच रिपोर्ट मांगी थी। परन्तु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट का इंतजार किये बिना ही दिनांक 11.06.2020 को एक आदेश जारी कर अनापत्ति प्रमाण—पत्र क्रमांक 9640—44 दिनांक 28.06.2019 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने के आदेश दिये है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा—5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2020 पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है इसलिये जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 11.06.2020 की सूचना प्रथम बार दिनांक 25.09.2020 को हुई। अपीलार्थी ने प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2020 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र पर प्रकरण से संबंधित प्रमाणित प्रतियां दिनांक 07.10.2020 को प्राप्त हुई। इसके पश्चात उक्त संबंध में अन्य दस्तावेजात इकट्ठे कर एवं वकील से राय प्राप्त कर अपील तैयार करने हेतु अपीलाधीन आदेश की जानकारी की तिथि से निधारित समयावधि में अपील प्रस्तुत की जा रही है। कोविड़—19 के अन्तर्गत भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिव्यू/निगरानी प्रस्तुत करने में निर्धारित मियाद में छूट दी है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा—5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने

Scanned with CamScanner

से खारिज किया जावे। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों व उस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाबी बहस कथनों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी/जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। विस्फोटक नियग–2008 के नियम–114 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना आवश्यक है। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2020 जारी करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। इस आदेश में आवेदन पत्र को निरस्त करने के कोई कारण अंकित नहीं किये गये है। यह मात्र एक साधारण पत्र मात्र है। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को प्रमाण–पत्र केवल उन्हीं परिस्थितियों में निरस्त का अधिकार है जिसका उल्लेख नियम–115 में किया हुआ है। इसलिये प्रश्नगत आदेश को निरस्त करने में विधिक प्रावधानों की पालना नहीं कर नियम विरूद्ध तरीके से आदेश पारित किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने विस्तार का जो आदेश दिनाक 28.06.2019 को पारित किया है। उसके बारे में विस्तार सबधी कार्यवाही वर्ष–2013 से उनके समक्ष विचाराधीन थी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने कई बार उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय एवं पुलिस अधीक्षक अजमेर से मौके की जांच करवाई। उक्त जांच में दोनों ही अधिकारियों ने यह माना कि मौके पर मैग्जीन भू–उपयोग परिवर्तन की गई भूमि खसरा नं0 4447/4317 पर स्थित है। जिसका भू–उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक किया हुआ है तथा मौके पर निर्माण किया जा रहा है। उक्त एन.ओ.सी. जारी करने के पश्चात प्रथम बार सुरेन्द्र माहेश्वरी नाम के व्यक्ति ने शिकायत की थी और उक्त शिकायत की जांच उपजिला मजिस्ट्रेट,

Scanned with CamScanner

भिनाय ने ही की थी जिन्होंने शिकायत को असत्य व निराधार माना था। दूसरी शिकायत आनन्द जोशी ने की थी। आनन्द जोशी ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अलावा संभागीय आयुक्त अजमेर एवं अन्य विभागों को भी शिकायत की प्रति भेजी थी। उक्त शिकायत की जांच भी उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय एवं पुलिस अधीक्षक अजमेर ने की थी तथा तहसीलदार एवं पटवारी से पर्चा मौका बनाया था। इस मौका पर्चा के आधार पर उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय में शिकायत झूठी व असत्य मानकर रिपोर्ट जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को प्रेषित की थी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही मुख्यमंत्री कार्यालय को यह सूचना भेजी कि इस मामले में जो शिकायत की गई है वह जांच में निराधार व असत्य पाई गई है। इसके उपरान्त भी एनओ.सी. को निरस्त करना पूर्णरूप से गलत व विधि विरूद्ध है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी भिनाय शिकायतकर्ता आनन्द जोशी की उसी शिकायत पर यह मान रहे है कि शिकायतकर्ता ने जो भी तथ्य अंकित किये है वे गलत है तथा खसरा नंबर 72 में कोई निर्माण नहीं हो रहा है और उस पर फसल खड़ी है। जांच रिपोर्ट में उपजिला मजिस्ट्रेट, भिनाय ने अंत में यह भी लिखा है कि खसरा नंबर 4447/4317 में स्थित मैग्जीन निर्माणाधीन है उसी उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय ने दिनांक 18.03.2020 को जो रिपोर्ट जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को प्रेषित की वह पूर्व में भेजी गई दिनांक 09.01.2020 की रिपोर्ट से एकदम विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने दिनांक 18,03.2020 को जो रिपोर्ट जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर को प्रेषित की है उसमें यह अंकित किया गया है कि स्वीकृत मैग्जीन कई वर्षों से बंद है, पहुंच मार्ग भी नहीं है विस्फोटक सामग्री के आने-जाने में दिक्कत है इसलिये विस्फोटक पदार्थों की क्षमता बढ़ाना उचित नहीं है। केवल उपखण्ड अधिकारी भिनाय की उक्त आधी-अधूरी रिपोर्ट को मानकर ही पूर्व में जारी एन.ओ.सी. को निरस्त किया है जबकि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय के साथ-साथ जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर से भी रिपोर्ट चाही थी। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट जिला कलक्टर अजमेर को दिनांक 22.07.2020 को प्रेषित की जिसमे निष्कर्ष के रूप में अंकित किया है कि "सम्पूर्ण जांच से यह पाया गया कि दीपक ट्रेडर्स के नाम से जारी फर्म से उक्त मैग्जीन है जो राज्य सरकार व विस्फोटक नियंत्रक विभाग से जारी गाईडलाईन के अनुसार सभी शर्तों व नियमों के अनुसार ही बनाई हुई है। इस परिवाद के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने अपने पत्रांक न्याय/शस्त्र/2020/1804, दिनांक 27.01.2020 से अपनी जांच रिपोर्ट संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर को प्रेषित की जिसमें परिवाद में अंकित तथ्य निराधार होकर असत्य पाया जाना अंकित किया है। जांच से भी परिवाद में अंकित तथ्य निराधार होकर असत्य पाये गये है। यह परिवाद मात्र व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण फर्म के साझेदारों को परेशान करने की गरज से झूठा देना पाया गया है।" इस प्रकार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर यदि पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का इंतजार करते तो स्थिति पूर्णतः विपरीत होती। उपखण्ड अधिकारी भिनाय ने एक ही माह

Scanned with CamScanner

में राजनैतिक दबाब के कारण मौके की रिपोर्ट को ही बदल दिया। दिनांक 09.01.2020 को भेजी गई रिपोर्ट में तो मौके पर मैग्जीन निर्माणाधीन बताया है और दिनांक 1803.2020 की रिपोर्ट में मैग्जीन वर्षों पूर्व बंद होना बताया है। दोनों विरोधाभासी रिपोर्ट है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने भी आनन–फानन में एवं मुख्यमंत्री महोदय को भेजी गई रिपोर्ट को दरकिनार करते हुये दिनांक 11.06.2020 को आदेश पारित किये है जो किसी भी स्थिति में उचित एवं विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित व विस्फोटक नियम 2008 के नियम 114 व 115 के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक क.अ./न्याय/विस्फोटक/2020/170 दिनांक 11.06.2020 निरस्त करते हुये पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश क्रमांक No- Judl/Explo./2019/9640 Dated 28.06.2019 को बहाल किया जाकर मुख्य नियंत्रक नागपुर को इसकी प्रति भेजकर अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित विस्फोटक पदार्थ विस्तार के संबंध में संशोधित लाईसेन्स जारी करने हेतु लिखे जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार प्राप्त रिपोर्ट एवं विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानानुसार विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अपीलांट फर्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच में प्राप्त रिपोर्ट भी स्पष्ट है कि "मौके पर मैग्जीन कार्य बंद है कई वर्षों से मैग्जीन बंद होकर मौका स्थल पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। मौके पर आने जाने हेतु पहुंच मार्ग का पूर्णतः अभाव पाया गया। ऐसी स्थिति में क्षमतावर्धन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त योग्य है।" अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 11.06.2020 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक नागपुर द्वारा अपीलार्थी फर्म के नाम विस्फोटक सामग्री रखने व विक्रय करने की अनुज्ञप्ति पत्र क्रमांक ई/मुख्या./राज./21/319 (ई 6461) दिनांक 04.01.2005 जारी किया इसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष उक्त लाईसेन्स की अवधि बढ़ाई जारी रही। अपीलार्थी फर्म की विस्फोटक सामग्री क्षमता बढ़ाये जाने का निवेदन किया था जिस पर विस्फोटक नियम–2008 के नियम–103 (3) (ए) के तहत एक आम सूचना जारी की। आम सूचना के बाद कोई आपत्ति नहीं आई उसके पश्चात उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय व पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने अर्थात अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने अपने आदेश क्रमांक No- Judl/Explo./2019/9640 Dated 28.06.2019 के द्वारा सामग्री क्षमता विस्तार के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। अपीलार्थी फर्म

Scanned with CamScanner

की अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी व श्री आनन्द जोशी द्वारा भिन्न भिन्न शिकायते की गई। उक्त शिकायतों की उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 09.01.2020 में तो मौके पर मैग्जीन निर्माणाधीन बताया है और दिनांक 1803.2020 की प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में मैग्जीन वर्षों पूर्व बंद होना बताया है। दोनों विरोधाभासी रिपोर्ट है तथा जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 22.07.2020 भी उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय की रिपोर्ट से भिन्न है। एक ही प्रकरण में जांच अधिकारियों की रिपोर्ट भिन्न भिन्न होने से सरकारी एजेन्सी की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह उठना लाजमी है ओर न्याय हित में यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत भी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। विस्फोटक नियग–2008 के नियम–114 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अनापत्ति प्रगाण –पत्र निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट को सुना जाना आवश्यक है।

114. Refusal to grant approval or licence.—The authority refusing to grant approval or licence including amendment and renewal shall record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the applicant. Before refusal, the applicant shall be given an opportunity of being heard.

विस्फोटक नियम–2008 के नियम–102 के तहत विस्फोटको के विनिर्माण,"विक्रय के उपयोग के कब्जे के लिये जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार विस्फोटक नियम–2008 के नियम–115 के तहत नियम–103 के अन्तर्गत जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त करने की व्यवस्था की गई है। नियम–115 के उपनियम– क, ख व ग की परिस्थितियां विद्यमान रहने पर ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त किया जा सकता है। नियम–115 अनुसार

115. Cancellation of no objection certificate.—

(1) No objection certificate granted under rule 103, may be cancelled by the authority issuing the same or authority superior to it, if such authority is satisfied, that—

(a) the licensee has ceased to have any right for the lawful possession over the licensed premises;

(b) the licensee is convicted and sentenced for any criminal offence or ordered to execute under Chapter VIII of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), a bond for keeping peace for good behaviour;

(c) the cancellation of no objection certificate is absolutely necessary for public peace and safety: Provided that before cancellation of the no objection certificate, the licensee shall be given a reasonable opportunity of being heard.

Scanned with CamScanner

(2) The authority issuing the no objection certificate or the District Magistrate or the State Government cancelling no objection certificate shall record, in writing, the reasons for such cancellation and shall immediately furnish to the licensee and the licensing authority concerned, copy of the order cancelling the no objection certificate and the reason for such cancellation.

(3) In case an appeal is made against the cancellation of no objection certificate, the appellate authority may consult, if so desired, the Chief Controller.

ऐसी स्थिति में प्रकरण में अपीलार्थी फर्म को विस्तार हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो निरस्त किया गया है वह विधिसम्मत नहीं है। अतएव ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में पुनः विचार किया जाना आवश्यक होने से जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 11.06.2020 निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर) का आदेश आदेश क्रमांक क.अ./न्याय/विस्फोटक/2020/170 दिनांक 11.06.2020 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(डॉ वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner